कार्यालय कलेक्टर जबलपुर एवं पदेन उपसचिव, म0प्र0 शासन राजस्व विभाग अधिसूचना

क्रमांक. /भू–अर्जन/2016–17 जबलपुर दिनांक / /2016

धारा 19 की उपधारा 4 की अधिसूचना

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की सारणी के कॉलम 2 में वर्णित भूमि के कालम 3 में उल्लेखित रकबे का नीचे बिन्दु क्र. 2 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

अतः "भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और परदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013" की धारा 19 उपधारा 4 के अंतर्गत एतद् द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण

(क) जिला :– जबलपुर
(ख) तहसील :– शहपुरा
(ग) ग्राम :– सहजपुर (प.ह.नं. 49/57)
(घ) रा.नि. मण्डल :– शहपुरा
(ङ) अर्जनाधीन क्षेत्रफल :– 1.00 हेक्टेयर एवं इस पर आने वाली सम्पत्तियां

क्रमांक	प्रस्तावित खसरा नं	प्रस्तावित रकवा (हेक्टेयर)
1.	175/1	0.18
2.	175/3	0.02
3.	176/1	0.08
4.	176/2	0.04
5.	189	0.24
6.	211/2	0.44
	कुल योग :–	1.00 हे.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:– धनेटा–राखी–सहजपुर मार्ग उन्नयन परियोजना के अंतर्गत सहजपुर बायपास के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में।

(3) चूंकि उक्त कार्य हेतु हितवद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि का अर्जन प्रस्तावित है एवं मार्ग निर्माण का कार्य पूर्व से प्रचलित है, अतः धारा 19 की उपधारा (2) के तहत सामाजिक समांघात स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है अतः किसी भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं किया जा रहा है।

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी बेवसाईट www.jabalpur.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट www.mprevenue.nic.in पर भी देख सकता है।

(5) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पाटन, भू–अर्जन शाखा कलेक्टर कार्यालय जबलपुर या कार्यालय संभागीय प्रबंधक, एमपीआरडीसी, जबलपुर में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

सही/

(महेश चंद्र चौधरी)
कलेक्टर, जबलपुर एवं पदेन उपसचिव
म.प्र. शासन, राजस्व विभाग

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
पाटन जिला जबलपुर (म.प्र.)

पृ. क्र. /भू–अर्जन/2016–17 जबलपुर दिनांक / /2016

प्रतिलिपी :–

1. नियंत्रक शासकीय केन्द्रीय मुद्राणालय म.प्र. भोपाल की ओर मध्यप्रदेश भाग–1 में प्रकाशनार्थ।
2. संचालक सूचना एवं प्रकाशन विभाग मध्यप्रदेश भोपाल की ओर दो स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ।
3. संभागीय प्रबंधक, एमपीआरडीसी, जबलपुर को अधिनियम प्रारूप धारा–19 की उपधारा (4) की अधिसूचना का प्रकाशन तत्काल करावें।
4. कलेक्टर कार्यालय में प्रकाशनार्थ, एवं म.प्र. शासन की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पाटन, जिला जबलपुर की ओर नोटिस बोर्ड में चस्पा करने बावत्।
6. तहसीलदार, तहसील शहपुरा, जिला जबलपुर म.प्र. की ओर सार्वजनिक स्थलों पर चस्पा हेतु उपरांत एक प्रति तामीली पश्चात् वापस करें।
7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत शहपुरा की ओर सूचनार्थ एवं प्रकाशनार्थ।
8. सचिव ग्राम पंचायत सहजपुर की ओर प्रकाशनार्थ एवं आगामी ग्राम सभा की बैठक में प्रति सूचनार्थ रखें।

(महेश चंद्र चौधरी)
कलेक्टर, जबलपुर एवं पदेन उपसचिव
म.प्र. शासन, राजस्व विभाग